



Neutral Citation No. - 2026:AHC:37601-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 3298/2026

राजकुमार और 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : दीपक सिंह, दीक्षा दुग्गल

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. शुरू में ही, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने यह बताया कि इस मामले में, जाँच पहले ही पूरी हो चुकी है और आरोप-पत्र भी जमा कर दिया गया है।
3. इसके विपरीत, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने यह निवेदन किया कि वे इस रिट याचिका पर ज़ोर नहीं देना चाहते हैं और इसे वापस लेना चाहते हैं, साथ ही उन्हें उचित चरण पर उचित मंच से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को उपरोक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
5. उपरोक्त को देखते हुए, इस रिट याचिका को उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ली गई मानकर खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

19 फरवरी, 2026

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”